

प्रारूप-4

भाग-3

28. क्या स्थल, जहां अंतर्वलित वन भूमि अवस्थित है उसका वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो निरीक्षण टिप्पण के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेषण की तारीख संलग्न की जाय
29. क्या वन संरक्षक भाग-2 में दी गई जानकारी और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत हैं
30. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

स्थान: तारीख: हस्ताक्षर नाम शासकीय मुद्रा

"प्रारूप-ग"

वन भूमि में खनिजों के सर्वेक्षण के राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों को धारा-2 के अधीन पूर्व मंजूरी लेने वाला प्रारूप

खनन/चुगान हेतु आवेदन

भाग-1

(प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भरा जाए)

1. परियोजना के ब्यौरे :

- (i) प्रयोक्ता अभिकरण का नाम पता और सम्पर्क ब्यौरे
- (ii) प्रयोक्ता अभिकरण की विधिक प्रास्थिति
- (iii) आवेदन करने वाले व्यक्ति नाम, पदनाम और पता
- (iv) प्रयोक्ता अभिकरण के निमित्त आवेदन करने के लिये इस आवेदन को करने वाले व्यक्ति की सक्षमता या प्राधिकरण के समर्थन में दस्तावेज (हां/नहीं)
- (v) खोजी जाने वाली खनिज वस्तु
- (vi) दोनों वन और गैर वन क्षेत्र में किये जाने वाले प्रस्तावित क्रियाकलापों का संक्षिप्त ब्यौरा
- (vii) प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिये संबद्ध यथास्थिति मंत्रालय या विभाग द्वारा दिये जाने वाले अनुमोदन के ब्यौरे
- (viii) पूर्वक्षण पट्टे में सम्मिलित वन और वन भूमि के ब्यौरे
- (ix) पूर्वक्षण के लिए अपेक्षित वन भूमि का कुल क्षेत्र:
 - (क) भूमि उपयोग स्थायी परिवर्तन के अनुभव के लिए संभाव्य वन भूमि का क्षेत्र
 - (ख) वन भूमि में स्थायी परिवर्तन के अनुभव के लिए सभाव्य वन भूमि का क्षेत्र
- (x) कुल अवधि जिसके लिए वन भूमि पूर्वक्षण के लिए उपयोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित हैं :
- (xi) परियोजना की प्राक्कलित लागत :
- (xii) ऐसी वन भूमि के उपयोग के लिए चालू प्रास्थिति के साथ राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में पूर्व में यदि कोई है उपयोजित वन भूमि का ब्यौरा :
- (xiii) प्रत्येक मामले में पूर्वक्षण की चालू प्रास्थिति के साथ वन भूमि में खनिजों के पूर्वक्षण के लिए प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में पूर्व में दी गई अनुमति के ब्यौरे :